

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग -2

कोषागार प्रपत्र सं0-209(a) (संशोधित)

प्रपत्र संख्या 43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

9100023

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

(रुब एवं अग्रिम की अदायगी प्रपत्र संख्या - 43 ए (2) द्वारा जमा की जायगी)

1. बैंक का नाम व शाखा
2. जिस व्यक्ति (रुदनाम यदि आवश्यक हो) या
3. कब्य के नाम से धनराशि जमा की जा रही
4. है उसका नाम व पता

देवीलाल श्री शर्मा
पूरे अक्तर पोखरेही RBL

2. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या
(यदि आवश्यक हो)
3. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा
किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)
4. जमा की जा रही धनराशि
5. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण / मुहर

03HP. नलगु 500/-

6. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

0043-00-102-01-100
विद्युत सुरक्षा निदेशालय

मुख्य लेखशीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	धनराशि अंको में
0043	00	002	00	01	500/-
					/

धनराशि (शब्दों में) पाँच सौ रूपये

कार्यालय

योग

500/-

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित
विद्युत सुरक्षा उपग्रह शासन रावतरोली जौनपुर रोड निकट बान्ने बाग जौनपुर रोली

जमाकर्ता के नाम व हस्ताक्षर

केवल उप कोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या.....
दिनांक.....

अंको में रू0
शब्दों में रू0

27 JUL 2022

प्राप्त किया।
उपकोषागार/बैंक की मुहर

(1)
(2)
कुल संयोजित भार किलोवाट में-03HP.
अधिकतम करंट मांग, एम्पियर में-10Amp-
(कुल संयोजित भार के आधार पर

5/268

/अति उच्च
संस्थापना

कुल
क्षमता